

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : शिवप्रसाद एम. नकाते, आई०ए०एस०

विविध प्रकरण सं. 49/2018

प्रार्थी-

आवास फाईनेंस लिमिटेड
201-202, द्वितीय तल, साउथ
एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर
इण्डस्टीयल एरिया,
जयपुर-302020
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. श्री विजय पुत्र रामभरोसी वार्ड न. 30,
देवन्दी रोड़, सिवाना जिला बाड़मेर व
खसरा न. 1699/395 सिवाणा, महादेव
नगर, देवन्दी रोड़, कृष्ण मंदिर के
सामने, जिला बाड़मेर (राज०)
2. श्रीमति ललिता पत्नी विजय
276, गौरी मार्केट, गुडिया ललिता, तह.
वैर, जिला भरतपुर (राज०)
3. श्री उमेश पुत्र राजाराम
युपी विद्याशाला, खारा, जालोर (राज०)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम, 2002**

उपस्थिति :-

1. श्री चन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18/12/2018

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण विजय व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया।
2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण विजय व अन्य की प्रार्थना पर एवं अप्रार्थीगण सं. 3 की व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 15,00,000/- रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण

✓

सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की सम्पत्ति यथा कस्बा सिवाणा के खसरा नम्बर 1699/395 सिवाणा महादेव नगर, देवन्दी रोड़, कृष्ण मंदिर के सामने, जिला बाड़मेर स्थित बनाप 1890 वर्गफीट एवं उस पर निर्मित भवन को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 31.05.2016 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2018 तक बकाया राशि रूपये 1606677/- भुगतान नहीं करने पर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 1500000/- ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से दिनांक 06.06.2018 तक कुल 1606677/- बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। इसके पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के समक्ष नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा न ही अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि भुगतान किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की



धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 से 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई उक्त जायदाद कस्बा सिवाणा के खसरा नम्बर 1699/395 सिवाणा महादेव नगर, देवन्दी रोड़, कृष्ण मंदिर के सामने, जिला बाड़मेर स्थित बनाप 1890 वर्गफीट एवं उस पर निर्मित भवन का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।
5. आदेश आज दिनांक 18.12.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एस. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर